क्रम-संख्या—112

रजिस्ट्रेशन नं०—जी०—11/लाई०—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 मई, 2006

ज्येष्ठ 3, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 572/सात-वि-1–01 (क)16-2006

लखनऊ, 24 मई, 2006

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 23 मई, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

(2) यह 23 फरवरी, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2006 की धारा 9 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 की धारा 9 में उपधारा (1) में तथा उसके परन्तुक में शब्द 'पाँच वर्ष' के स्थान पर शब्द 'छः वर्ष' रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

अधीनस्थ सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के लिये एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना और उससे सम्बद्ध और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2006) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा। चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य की पदावधि छः वर्ष है, अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष से बढ़ाकर छः वर्ष कर दी जाय ताकि उक्त दोनों आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि में एकरूपता बनाये रखी जाये।

तदनुसार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राम हरि विजय त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 572/VII-V-1–01 (Ka) 16-2006

Dated Lucknow, May 24, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhinastha Seva Chayan Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 23, 2006.

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. ACT NO. 14 OF 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Act, 2006.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (Amendment) Act, 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force on February 23, 2006.

Amendment of section 9 of U.P. Act no. 1 of 2006

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Act, 2006 in sub-section (1) and in the proviso thereof *for* the words "five years" the words " six years" shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Act, 2006 (U.P. Act no. 1 of 2006) has been enacted to Provide for the establishment of a Subordinate Services Selection Commission for certain categories of Subordinate Services and for matters connected therewith or incidental thereto sub-section (1) of section 9 of the said Act provides that the Chairman or every other Member shall hold office for a term of five years from the date he assumes office or till he attains the age of sixty-five years whichever is earlier. Since the term of office of the Chairman and every Member of the Uttar Pradesh Public Services Commission is six years, it has been decided to amend the said Act to increase the term of office of the Chairman and other Members from five years to six years so as to maintain the uniformity in the terms of office of the Chairman and Members of both the said Commissions.

The Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,

RAM HARI VIJAY TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 233 राजपत्र (हिन्दी)–(355)–2006–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 37 सा० विधायी–(356)–2006–850–(कम्प्यूटर/आफसेट)।